



ज़बरन विवाह और कानूनी उम्र से पहले विवाह

ऑस्ट्रेलिया में किसी का ज़बरन विवाह कराना अपराध है।

ऑस्ट्रेलिया में, लोगों को यह फैसला लेने का अधिकार है कि वह विवाह करना चाहते हैं या नहीं, और वह किससे विवाह करना चाहते/चाहती हैं। आम-तौर पर, कानूनन विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु **18** साल से अधिक होनी चाहिए। कुछ परिस्थितियों में **16** साल की आयु से अधिक का कोई व्यक्ति 18 साल से अधिक की आयु के व्यक्ति से विवाह कर सकता है, परन्तु इसके लिए एक अदालती आदेश की ज़रूरत होती है।

ऑस्ट्रेलिया में किसी व्यक्ति को विवाह के लिए विवश करना, डराना-धमकाना या छलकपट करना गैर-कानूनी है। ज़बरन विवाह के लिए किसी को प्रोत्साहित करना या इसकी व्यवस्था करना, और यदि आप पीड़ित व्यक्ति नहीं हैं तो ज़बरन विवाह में शामिल होना भी गैर-कानूनी है। यह कानूनी, सांस्कृतिक और धार्मिक विवाहों पर लागू होता है।

अरेंज्ड मैरिज (माता-पिता द्वारा तय किया गया विवाह) जिसमें दोनों लोग विवाह के लिए स्वतंत्र रूप से सहमत होते हैं, ज़बरन विवाह से अलग होता है। ऑस्ट्रेलिया में अरेंज्ड मैरिज वैध है।

यदि आपको या आपके किसी जानकार को खतरा है तो पुलिस को **000** पर फोन करें।

ऑस्ट्रेलिया की पुलिस सुरक्षित है और इनपर भरोसा किया जा सकता है।

यदि आपको एक निःशुल्क दुभाषिण की ज़रूरत है तो **131 450** पर फोन करें।

ज़बरन विवाह के लिए किसी व्यक्ति को किसी दूसरे देश ले जाना या भेजना अथवा किसी दूसरे व्यक्ति से ऐसा करने की व्यवस्था कराना गैर-कानूनी है।

कभी-कभी लोगों को ज़बरन विवाह कराने के लिए उनकी इच्छा के बिना विदेश ले जाया जाता है या धोखा देकर उन्हें विदेश ले जाया जाता है। यह गैर-कानूनी है और इसके फलस्वरूप जेल हो सकती है।

क्या आपको, या आपके किसी जानकार को कोई खतरा है?

यदि आपको, या आपके किसी जानकार को ज़बरन विवाह या कानूनी आयु से पहले विवाह कराए जाने का खतरा है, तो आप ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस (AFP) से सहायता के लिए **131 237** (131AFP) पर संपर्क कर सकते/सकती हैं।

AFP आपको सुरक्षित रख सकती है, प्रारम्भिक सलाह प्रदान कर सकती है और समर्थन ए लिए आपको अन्य सेवाओं को रेफर कर सकती है, इनमें आवास, वित्तीय सहायता, सलाह-मशवरा और कानूनी तथा आप्रवास परामर्श शामिल हैं। और अधिक जानकारी के लिए **AFP** की वेबसाइट के लिंक **www.afp.gov.au** का अनुसरण करें।

ऑस्ट्रेलिया में ऐसी अन्य सेवाएँ हैं जो मदद कर सकती हैं।

(माई ब्लू स्काई) **My Blue Sky** ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय वेबसाइट और हेल्पलाइन है जिसका उद्देश्य जबरन विवाह की रोकथाम करना, इस संबंधी सूचना, रेफरल और निःशुल्क कानूनी सलाह देना है।

(02) 9514 8115 पर फोन करें, **0481 070 844** पर टेक्स्ट भेजें, **help@mybluesky.org.au** पर ई-मेल करें, या **www.mybluesky.org.au** पर (माई ब्लू स्काई) **My Blue Sky** वेबसाइट देखें।

1800RESPECT ऑस्ट्रेलिया की यौन उत्पीड़न, पारिवारिक और घरेलू हिंसा परामर्शी सेवा है। यह निःशुल्क, गोपनीय टेलीफोन और ऑनलाइन सलाह एवं सूचना प्रदान करती है। सलाहकार आपकी बात सुनेंगे, आपके सवालों का जवाब देंगे और वे आपको आपके स्थानीय क्षेत्र में अन्य समर्थन सेवाओं को रेफर कर सकते/सकती हैं।

1800 737 732 पर फोन करें या **www.1800RESPECT.org.au** पर **1800RESPECT** वेबसाइट देखें।

क्या आपको किसी दुभाषिए की ज़रूरत है?

अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा (**Translating and Interpreting Service - TIS**) को **131 450** पर फोन करें। TIS का कोई दुभाषिया अन्य सेवाओं के साथ बातचीत करने में आपकी मदद कर सकता है, परन्तु TIS सलाह-मशवरा सेवा प्रदान नहीं करती है। सभी कॉल्स निःशुल्क और गोपनीय होती हैं।

ज़बरन विवाह के बारे में और अधिक जानकारी:

गृह मामला विभाग (**Department of Home Affairs**) की वेबसाइट www.homeaffairs.gov.au देखें और “ज़बरन विवाह – forced marriage” के लिए सर्च करें।